<table>
<tr><th>आदेश की कम संख्या और तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ</th></tr>
<tr><td>27/1/2015</td><td>
सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा
जिला विधि प्रशाखा
आपूर्त्ति अपील संख्या 81/12
रामाधार सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य
आदेश

संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2180 दिनांक 24.7.12 के विरुद्व दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।

वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.1.12 को जॉच दल के द्वारा रामाधार सिह, जन वितरण प्रणाली विकेता अनुज्ञप्ति सं0 46/07, पंचायत–मशरक पूर्वी प्रखंड–मशरक की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी

1. लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं।
2. संयुक्त नमूना प्रदर्शित नही।
3. अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना।
4. निरीक्षण/ शिकायत पुस्तिका का संधारण नहीं।
5. प्रति लीटर किरासन तेल 17 रूपया देना।

उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 527 दिनांक 19.3.12 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। जिसके प्रसंग में विकेता
</td><td></td></tr>
</table>

के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता के द्वार प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से प्रत्येक माह में 20 तारीख के बाद प्राप्त होने वाले उपभोक्ताओं की सूची के आलोक में वितरण कार्य किया जाता था एवं उस सूची को लाभुकों के लिए प्रदर्शित भी किया जाता था। जॉच के पूर्व पूर्व माह की उपभोक्ता सूची दिनांक 5.1.12 को विक्रेता के द्वारा अनुमंडल कार्यालय में जमा करा दिया गया था, जिस वजह से जॉच दल को वह दिखाना संभव नहीं हो सका। यह भी बतलाया गया कि जॉच की तिथि के पूर्व लगभग सभी समान उपभोक्ताओं के बीच वितरित कर दिया गया था। अवशेष की मात्रा काफी कम थी, जिसे चूहों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस वजह से जॉच की तिथि को संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं था। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले किसी भी समान की गुणवन्ता के संबंध में या अपीलकर्त्ता के विरूद्व किसी भी बिन्दू पर किसी अनियमितता के संबंध में किसी उपभोक्ता के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी। यह भी बतलाया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा सभी अभिलेख यथा, भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य कागजात दिनांक 5.1.12 को अनुमंडल कार्यालय, मढ़ौरा में जमा करा दिया गया था, जिस वजह से उसे जॉच दल को उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका। शिकायत पुस्तिका दुकान में उपलब्ध थी, लेकिन चूँकि जॉच दल के द्वारा उसकी मॉग नहीं की गयी। इसलिए इसे जॉच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। अपीलकर्त्ता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में किरासन तेल का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपने आप में मुखर आदेश नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारणपृच्छा में या पारित अदेश में कहीं भी शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे लगाया जाने वाला आरोप स्पष्ट नहीं हो पाता है। यह उचित था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी अपीलकर्त्ता की दूकान से संबंधित कागजात मँगवाकर उसकी जॉच करते एवं यदि उसमें कोई अनियमितता पायी जाती, तो उनके विरूद्व कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 57 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।

29/1/15